न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर
पीठासीन अधिकारीः— श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र नम्बर मुकदमा 08/2019

अनवान :—
श्री नागरमल खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

श्री शंकरलाल पुत्र श्री मांगीलाल लखाणी जाति माहेश्वरी(विक्रेता मालिक) मैसर्स गिरधारीलाल मांगीलाल लखाणी, कोटगेट, बीकानेर (राज.)

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :—
1. प्रार्थी स्टेट की ओर से — विभागीय प्रतिनिधि
2. अप्रार्थी की ओर से — अप्रार्थी स्वयं

—: निर्णय :— दिनांक 27.09.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री नागरमल, खाध सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.11.2018 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स गिरधारीलाल मांगीलाल लखाणी, कोटगेट, बीकानेर के यहां निरीक्षण दौरान अपनी दुकान में करीबन 5 मिलोग्राम एक ट्रे में मिल्क केक बेचने हेतु रखा हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त मिल्क केक में से 2 किलोग्राम मिल्क केक जिसकी कुल कीमत 400/— रूपये में नगद खरीद कर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त खरीदशुदा मिल्क केक को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ सुखी कांच की शीशियों को दिखाकर उक्त खरीद शुदा मिल्क केक को प्रत्येक शीशियों में बराबर—बराबर मात्रा में डालकर कांच शीशियों में परिरक्षक फोर्मलीन की 40—40 बुंदे डालकर शीशियों को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने की शीशियों पर चिपकाये और लेबल पर डीओ के कोड एवं क्रमांक जे— 1497 दर्ज किया प्रत्येक लेबन पर स्लीप संख्या नमूना लेने वाले का नाम दिनांक स्थान व खाद्य पदार्थ की किस्म एवं परिरक्षक का नाम व मात्रा अंकित की लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने भी किये। चारों नमूनों के भागों को अलग—अलग खाखी कागज में लपेट कर दोनों सीराओं को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डीओ जिला बीकानेर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप नंबर जे—1497 नियमानुसार चारों नमूनों शीशियों पर राउण्ड टू बोटम गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूनें के भाग को धागें से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूनें के भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें पेपर स्लीप व रेपर दोनों पर आवें एवं खाखी पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर कराये तथा प्रार्थी ने स्वयं हस्ताक्षर कर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता और गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करवाये तथा आवेदक ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूनों के भागों को अपने कब्जे में लिया उक्त एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खादय विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से

अति. जिला कलेक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

दिनांक 02.01.2019 जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें मिल्क केक अनसेफ फूड होना पाया गया। तदन्तर अप्रार्थी के निवेदन पर इस मिल्क केक की स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पूना से पुनः जांच करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 15.03.2019 की जांच में सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड मिल्क केक का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वंय उपस्थित आकर जबाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से मिल्क केक का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई । मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां मिल्क केक अनसेफ पाया गया। तदन्तर स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेटी, पुना के यहां से भी जांच करवाई गई जिसमें मिल्क केक सबस्टेण्डर्ड पाया गया। स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेटी पुने की रिपोर्ट क्रमांक RFL/DO-130/19/275/2019 दिनांक 15.03.2019 अनुसार Butyro refractometer reading 40.0 to 43.0 की तुलना में 48.7 तथा Test for Starch - Shall be Negative की तुलना में Positive पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां मिल्क केक सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. इसके विपरीत अप्रार्थीपक्ष ने बचाव में निवेदन किया कि अप्रार्थी एक छोटा व्यापारी है तथा मिठाई आदि तैयार करके विक्रय करने का काम करता है। अप्रार्थी के यहा मिल्क केक का सेम्पल लिया गया जो कि दूध से तैयार किया जाता है जो दूध बाहर से खरीदता है जिसके खरीदने में पूर्ण रूप से सावधानी बरती जाती है फिर भी यदि कोई त्रुटि वंश कोई भूल रह गई जिसके लिए क्षमा प्रार्थी है। अप्रार्थी मिठाई तैयार करने में पूर्ण सावधानी रखता है तथा किसी प्रकार की मिलावट नहीं करता है फिर भी निर्माण में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो हृदय से क्षमा प्रार्थी है। अन्त में अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वह भविष्य में पूर्ण रूपेण सावधानी से कार्य करूगा।

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निर्विवाद है कि दिनांक 03.11.2018 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी पक्ष के यहां वरवक्त निरीक्षण करीबन 5 किलोग्राम मिल्क केक मिलना भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है। लिये गये नमूनें में से प्रथम नमूना नियमानुसार जांच हेतु भेजा गया है जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 02.01.2019 के अनुसार जांच परिणाम के अनुसार अनसेफ फूड़ पाया गया है। यह जांच रिपोर्ट आने के पश्चात एफएसएस एक्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ही स्टेट द्वारा अप्रार्थीपक्ष को अवगत करवाया गया है। इस पर अप्रार्थी पक्ष द्वारा पुनः जांच का

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

आवेदन किया जाकर नियमानुसार शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात् द्वितीय नमूना पुनः जांच हेतु भिजवाया गया। जिसकी रिपोर्ट 15.03.2019 प्राप्त हुई जिसकी जांच परिणाम अनुसार मिल्क केक सबस्टेण्डर्ड पाया गया। प्रथम जांच परिणाम के अनुसार अनसेफ फूड होना पाया गया है जबकि स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पूना से पुनः जांच करवाई गई जांच में लिये गये नमूने पदार्थ में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। पत्रावली में डायरेक्टर, रेफरेल फूड लेबोरेटी, पुणे के यहां से भी जांच करवाई गई जिसकी रिपोर्ट क्रमांक RFL/DO-130/19/275/2019 दिनांक 15.03.2019 अनुसार Butyro refractometer reading 40.0 to 43.0 की तुलना में 48.7 तथा Test for Starch - Shall be Negative की तुलना में Positive पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां पाया गया मिल्क केक सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का मिल्क केक विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है इन दोनों ही जांचों से वरवक्त निरीक्षण मिला मिल्क केक मानव उपयोग के लिये हानिकारक है, जो की एफएसएस एक्ट की धारा 26(2)ii के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

6. यहां यह उल्लेख किया जाना समीचीन है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध जरिये परिवाद कार्यवाही दायर की गई है। प्रार्थी स्टेट द्वारा परिवाद अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। इस परिवाद में प्रार्थी पक्ष की ओर से उल्लेखित तथ्यों का कोई ठोस खण्डन अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं हुआ है। इसलिए प्रार्थी पक्ष की ओर से अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा मिल्क केक सबस्टेण्डर्ड विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2) (ii) का उल्लंधन किया जाना प्रमाणित है एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii) के अपराध की श्रेणी में आता है, जो शास्ति अधिरोपित का दायी है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रूपये **30,000/–** अखरे **तीस हजार रूपये** की शास्ति आरोपित करते है।

7. इसके साथ–साथ अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमीं की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष को जरिये रजिस्टर्ड पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा) बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Azizul Hassan Gauri
Date: 2019.11.22 12:23:37 IST
Reason: SelfAttested
Location: